

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक : 20/12/2019

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. स.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास
1.	80/2014	श्री तृप्ति खण्डेलवाल सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2047	4/146, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-927)
2.	188/2010	श्री भुवन चन्द्र भट्ट वरिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	31.3.2024	4/41, गाँधीनगर (4/109, गाँधीनगर के स्थान पर)
3.	14/2011	श्री मुकेश सांखला नर्सिंग ट्यूटर स्कूल ऑफ नर्सिंग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2043	4/147, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-928)
4.	129/2011	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्साल, जयपुर	30.4.2041	4/162, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-975)
5.	203/2014	श्री श्रवण सिंह शेखावत अनुभागाधिकारी कार्मिक (क-3/जांच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.03.2027	4/168, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-981)
6.	131/2011	श्री भारद्वाज नर्स ग्रेड-II जनाना अस्पताल, जयपुर	31.10.2044	4/169, गाँधीनगर (पुराना न. एफ-982)
7.	133/2011	श्री तेज सिंह राणावत वरिष्ठ लिपिक सहकारिता विभाग, जयपुर	31.12.2023	4/24, गाँधीनगर
8.	134/2011	श्री लेखराज मीणा वरिष्ठ लिपिक परिवहन विभाग, जयपुर	30.6.2031	4/30, गाँधीनगर
9.	212/2014	श्री कपिल मधुकर, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2042	4-डी-10, बहुमंजिला, गाँधीनगर
10.	135/2011	श्रीमती अर्चना जैमन आबकारी निरीक्षक आबकारी विभाग, जयपुर	31.10.2039	4/36, गाँधीनगर
11.	137/2011	श्री राजपाल सिंह तँवर वाहन चालक जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	30.6.2028	4/40, गाँधीनगर

12.	138 / 2011	श्री पूरण सिंह शेखावत वाहन चालक 1 राज. एयर स्क्वाड्रन एन.सी.सी., जयपुर	31.5.2027	4 / 43, गाँधीनगर
13.	226 / 2014	श्री हेमराज शर्मा, अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.1.2041	4 / 45, गाँधीनगर
14.	140 / 2011	श्री मोहम्मद अली सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर	30.6.2039	4 / 48, गाँधीनगर
15.	142 / 2011	श्री बृजमोहन धवन कनिष्ठ लिपिक सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर	31.12.2033	4 / 51, गाँधीनगर
16.	143 / 2011	श्री कपिल शर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्मिक (क-3/जाँच), शासन सचिवालय, जयपुर।	30.9.2040	4 / 55, गाँधीनगर
17.	227 / 2014	श्रीमती रफत अंजुम सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-5) विभाग शासन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31-01-2041	4 / 59, गाँधीनगर
18.	144 / 2011	श्री गोपाल लाल शर्मा स्टेनो पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) जयपुर	30.4.2036	4 / 61, गाँधीनगर
19.	145 / 2011	श्री संजीव कुमार यादव कनिष्ठ लिपिक कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, जयपुर	30.9.2032	4 / 63, गाँधीनगर
20.	146 / 2011	श्री बाबू लाल यादव नर्स ग्रेड-1A सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.10.2031	4 / 68, गाँधीनगर
21.	238 / 2014	श्री हेमन्त पाण्डया सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2048	4-ए-18, बहुमंजिला, गाँधीनगर
22.	147 / 2011	सुश्री सीमा ढाका विधि सहायक पशुपालन विभाग, जयपुर	30.4.2046	4 / 69, गाँधीनगर
23.	149 / 2011	श्री रामनरेश सिंह कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर.ए.सी., जयपुर	31.8.2034	4 / 74, गाँधीनगर
24.	150 / 2011	श्री कौशलेन्द्र सिंह नरुका वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर.ए.सी., जयपुर	31.10.2032	4 / 77, गाँधीनगर

25.	240 / 2014	श्री मिश्रीलाल मीणा, शीघ्र लिपिक विधि (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2039	4 / 78, गाँधीनगर
26.	151 / 2011	श्रीमती आलम आरा ए.एन.एम. महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर	31.12.2026	4 / 81, गाँधीनगर
27.	152 / 2011	श्री कैलाश चन्द मीणा सूचना सहायक मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर	30.6.2037	4 / 83, गाँधीनगर
28.	153 / 2011	श्री संजय भट्ट कनिष्ठ लिपिक उप निदेशक, कृषि(विस्तार) जिला परिषद, जयपुर	30.9.2032	4 / 86, गाँधीनगर
29.	243 / 2014	श्रीमती मीना कंवर सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-12) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.5.2042	4 / 95, गाँधीनगर
30.	154 / 2011	श्रीमती सपना मीणा सांख्यिकी सहायक महिला अधिकारिता विभाग जयपुर	31.8.2041	4 / 96, गाँधीनगर
31.	155 / 2011	श्री राजेन्द्र प्रसाद मानोता सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग, जयपुर	31.7.2037	4 / 97, गाँधीनगर
32.	156 / 2011	श्री दिलीप कुमार पारीक नर्स ग्रेड-1A सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	29.2.2044	4 / 98, गाँधीनगर
33.	256 / 2014	श्री राकेश कुमार आचार्य अनुभागाधिकारी कार्मिक कार्मिक (ग-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2030	4 / 99, गाँधीनगर
34.	159 / 2011	श्री हरीश कुमार तिवारी वरिष्ठ लिपिक उद्योग(पी.पी.सी.) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2022	4 / 115, गाँधीनगर
35.	160 / 2011	श्रीमती सरोज मीणा कनिष्ठ विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	31.5.2046	4 / 123, गाँधीनगर
36.	161 / 2011	श्री भानु प्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजस्थान विधान सभा, जयपुर	30.6.2035	4 / 126, गाँधीनगर
37.	259 / 2014	श्री भैरवनारायण मेहरा सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2043	4 / 127, गाँधीनगर

38.	162 / 2011	श्री चन्द्रकान्त शर्मा अध्यापक राज० प्रा० विद्यालय नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर	30.6.2029	4 / 130, गाँधीनगर
39.	163 / 2011	श्री अमर सिंह गुर्जर कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर	30.6.2023	4 / 131, गाँधीनगर
40.	164 / 2011	श्री राधेश्याम राव वरिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (मु०) जयपुर	31.8.2022	4 / 132, गाँधीनगर
41.	259सी / 2014	श्री प्रमोद कुमार कुमावत सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2030	4 / 133, गाँधीनगर
42.	165 / 2011	श्री गोपाल दास गुप्ता कनिष्ठ लिपिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, राज. स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	28.2.2025	4 / 134, गाँधीनगर
43.	166 / 2011	श्री जय प्रकाश मीणा कनिष्ठ लिपिक सहकारी समितिया, जयपुर	31.8.2041	4 / 136, गाँधीनगर
44.	167 / 2011	श्रीमती ललिता बीवाल अध्यापिका ब्लॉक प्रा० शिक्षा अधिकारी, बस्सी, शिक्षा संकुल जयपुर	31.7.2039	4 / 137, गाँधीनगर
45.	268 / 2014	श्री विजेन्द्र सिंह सहायक अनुभागाधिकारी सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	31.10.2046	4-सी-04, बहुमंजिला, गाँधीनगर
46.	168 / 2011	श्री रूप बसन्त सिंह, कानि. 331 वाहन चालक मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर	30.9.2029	4 / 140, गाँधीनगर
47.	169 / 2011	श्रीमती अनिता शर्मा नर्स ग्रेड-1A सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.3.2043	4 / 142 गाँधीनगर
48.	170 / 2011	सुश्री ज्योति शर्मा आबकारी निरीक्षक जिला आबकारी अधिकारी जयपुर	31.1.2047	4-ए-21, बहुमंजिला, गाँधीनगर
49.	285 / 2014	श्री पवन कुमार शर्मा, सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-3 / फर्नीचर स्टोर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2043	4-बी-14, बहुमंजिला, गाँधीनगर
50.	171 / 2011	श्री राजेश कुमार वाहन चालक नगर नियोजन विभाग, जयपुर	31.1.2030	4-बी-19, बहुमंजिला, गाँधीनगर

51.	172 / 2011	श्री सतीश चन्द्र जैन कनिष्ठ लिपिक कार्यालय सभागीय आयुक्त, जयपुर	30.6.2024	4-बी-21, बहुमंजिला, गाँधीनगर
52.	174 / 2011	सुश्री अनामिका मनचंदा विधि सहायक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2034	4-सी-15, बहुमंजिला, गाँधीनगर
53.	286 / 2014	श्री महेन्द्र कुमार डागर, सहायक अनुभागाधिकारी, राजस्व (अल्पसंख्यक मामलात) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31-12-2041	4-सी-16, बहुमंजिला, गाँधीनगर
54.	175 / 2011	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अति० जिला मजिस्ट्रेट शहर पूर्व, जयपुर	28.2.2025	4-सी-20, बहुमंजिला, गाँधीनगर
55.	2 / 2012	सुश्री शीला फोगावाट आर.पी.एस.पी पुलिस कमीशनरेट, जयपुर	30.6.2032	4-डी-8, बहुमंजिला, गाँधीनगर
56.	3 / 2012	श्री महेन्द्र मीना सूचना सहायक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	30.6.2042	4-डी-12, बहुमंजिला, गाँधीनगर
57.	292 / 2014	श्री रामसहाय मीणा सहायक अनुभागाधिकारी निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर	30.6.2031	4-डी-15, बहुमंजिला, गाँधीनगर
58.	4 / 2012	श्री राकेश कुमार वर्मा नर्स ग्रेड-1A सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2045	4-डी-17, बहुमंजिला, गाँधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।

8. क्रम संख्या 9, 21, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, एव 58 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (ख-1)/(क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. उपायुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. उपायुक्त, आबकारी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. कमांडेंट, 1 राज. एयर स्क्वाड्रन, एन.सी.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जनाना चिकित्सालय, चाँदपोल,/महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. महानिरीक्षक पुलिस, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
15. अतिरिक्त महानिदेश पुलिस, आर.ए.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
16. उपनिदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
17. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
18. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
19. प्रधानाध्यापक, राज0 प्रा0 विद्यालय, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
20. सचिव, राजस्थान विभाग सभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
21. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
22. अधिशाषी अभियंता, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
23. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, राज. स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
24. ब्लॉक प्रा0 शिक्षा अधिकारी, बस्सी शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
25. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

26. संभागीय आयुक्त, कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
27. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), कार्यालय अति० जिला मजिस्ट्रेट शहर पूर्व, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
28. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
29. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
30. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
31. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
32. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
33. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
34. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
35. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
36. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
37. संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
38. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
39. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर